अपील सूचना अधिकार संख्या 165/2020 (RCMS 2020/00288) हरपाल सिंह सुधन पुत्र महताब सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी चैम्बर नम्बर 5ए कचहरी परिसर रायसिंहनगर बनाम तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ

22.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरपाल सिंह उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, , श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी। सूचना का सम्बंध तहसील रायसिंहनगर से होने के कारण उन्होनें अपने पत्रांक आरटीआई/ /2020/1107 दिनांक 03.11.2020 तहसीलदार, अनपूगढ को स्थानान्तरित कर दिया था। तहसीलदार, अनूपगढ ने अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र 26.10.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> श्रीमान् तहसीदार, अनूपगढ की पत्रावली (जो पत्र क्रमांक एफ39/(121)राज./उप/71 दिनांक 10 अगस्त 1971 से सहायक सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, जयपुर वास्ते जिलाधीश श्रीगंगानगर । विषयः श्रीमती ज्ञानकौर, जैलदार ... जिला श्रीगंगानगर तहसील अनूपगढ को ... (... गई) में पत्र दिनांक ... 1971, आवेदन आदेश (कश्मीरी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:39 IST
Reason: SelfAttested

		विस्थापित) ग्राम 3 एलसी (ए) तत्कालीन तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 5, नामानतरणकरण आदेश दिनांक 01.04.1971 तथा समस्त कार्यवाही, समस्त पत्रावली व समस्त दस्तावेजों की।

तहसीलदार अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2021/193 दिनांक 22.01.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित विषयक अपील के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी हरपाल सिंह सुधन का "सूचना का अधिकार" के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2020 इस कार्यलय को दिनांक 26.11.2020 को प्राप्त हुआ एवं वांछित सूचनाएं 49 वर्ष पुरानी होने एवं इस कार्यालय से सम्बन्धित ना होकर उपखण्ड रिकॉर्ड रूम से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या भू.अ./20/5121 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को भिजवाते हुए प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिए डाक भिजवा दी गई थी। (प्रमाणित प्रति संलग्न है)।
>
> अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता का मूल पदस्थापन उपखण्ड [illegible] तहसीलदार के पद पर है [illegible] उप पंजीयक, अनू[illegible] कार्यभार है। माह नवम्बर से 21.12.2020 तक [illegible]रपालिका चुनाव में

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		व्यस्तता के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र सम्बन्धित कार्यालय (उपखण्ड कार्यालय) में भिजवाने से आंशिक विलम्ब हुआ है। नगरपालिका चुनाव के सम्पन्न होते ही आवेदन पत्र उपखण्ड कार्यालय में भिजवा दिया गया है। -sd- तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ

उक्त के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) अवलोकनीय है :

> 6(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है–
>
> (i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या
>
> (ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,
>
> वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उसे अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा :
>
> - **परन्तु यह कि इस उप –धारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:39 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अपीलार्थी की सूचना का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से है इसलिए तहसीलदार, अनूपगढ को सूचना हेतु उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को 5 दिवस के भीतर अंतरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और ऐसा अंतरण 5 दिवस पश्चात नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलार्थी की सूचना से सम्बन्धित संधारित अभिलेख को अपने कार्यालय में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से मंगवाकर अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना चाहिए था। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2020 में अंकित सूचना नियमुनसार उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ साथ **तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ को भी आदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से भी आवेदक द्वारा उक्त वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निर्णय प्राप्ति के 10 दिवस भीतर आवेदक को नियमानुसार देय सूचना उपलब्ध करवायें।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ एवं तहसीलदार, अनूपगढ को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:22:39 IST
Reason: SelfAttested